राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 611/2014/हनुमानगढ़

सायर देवी पत्नि ताराचंद जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
............प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. साहबदीन पुत्र कमरदीन।
3. सफी मोहम्मद पुत्र कमरदीन।

समस्त जाति मुसलमान कुम्हार निवासी मन्दरपुरा हाल निवास ग्राम अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। ....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री शशिकांत जोशी

अभिभाषक .... प्रार्थीया 1 की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उपराजकीय अभिभाषक .... अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से

नाम तर्क किया गया .... अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/02/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कलक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 20/2010 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2011 के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण 2 ता 3 से दिनांक 13.05.2008 को जरिये विक्रय पत्र से कृषि भूमि स्थित ग्राम मन्दपुरा तहसील नोहर की खाता संख्या 32/30 के खसरा नम्बरान क्रमशः 880 रकबा 21

2m/

लगातार.................2

बीघा 15 बिस्वा, 943 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा भूमि क्रय की गयी एवं प्रार्थीया द्वारा उक्त विक्रय पत्र को वास्ते पंजीकरण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर उपपंजीयक नोहर द्वारा उक्त कृषि भूमि की मालियत 5,21,892/– रू. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क पर उक्त विक्रय पत्र का पंजीकरण कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2008 का दस्तावेज प्रार्थीया को लौटा दिया। विक्रय पत्र के पंजीकरण के 2 वर्ष पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ के न्यायालय में एक रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि " उक्त दस्तावेज में कहीं भी कृषि भूमि का सड़क से दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही विभाग ने इस अपूर्ण दस्तावेज के सम्बन्ध मे आवश्यक पूछताछ की है अतः डी.एल.सी. के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार सड़क से पास की मालियत होना वांछनीय है।" उक्त रेफरेन्स का विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 14.01.2010 को दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली में आगामी पेशी 23.09.2010 नियत की गयी। आगामी पेशी दिनांक 23.09.2010 पर पत्रावली में प्रार्थीया पर नोटिस जारी फरमाये गये। बाद सूचना प्रार्थीया जरिये अभिभाषक विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ के न्यायालय में दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "विवादित आराजी आबादी व मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं ऐसी सूरत में विवादित आराजी का सक्षम राजस्व कर्मचारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रश्नगत रेफरेन्स की कार्यवाही को बन्द करने के आदेश फरमाये"। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक रीडर/2010/एसपीएल–3 दिनांक 15.11.2010 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) नोहर से मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 26.09.2011 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करते हुये कमी मुद्रांक कर 1,04,700/– रू. व पंजीयन शुल्क 19780/– रू. व शास्ति 120/– रू. कुल 1,24,600/– रू. क्रेता से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये है जिसके विरूद्व क्रेता प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त निर्णय प्रार्थीया के जवाब के पश्चात् एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर पारित किया जाने के कारण प्रार्थीया ने एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु आदेश 9 नियम 13सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.13 द्वारा खारिज किया गया।

लगातार.................3

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीण सं. 2 व 3 का नाम विद्धान अभिभाषक प्रार्थीया के निवेदन पर तर्क किया गया।
4. बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।
5. विद्धान अभिभाषक प्रार्थीया ने कथन किया कि रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि दस्तावेज में सडक से दूरी का उल्लेख नहीं है व न ही विभाग ने इस बिन्दु पर कोई परीक्षण किया है जिससे दस्तावेज से संबंधित भूमि सडक पर मानकर किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी मंगवाई है तथा प्रार्थीया ने जवाब भी प्रस्ततु किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट जबाब पर विचार किये बिना रेफरेन्स स्वीकार किया है तथा निर्णय में रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई निष्कर्ष भी पारित नही किया हैं। निर्णय नॉन स्पीकिंग है व नॉन रिजण्ड है। मौका रिपोर्ट में भूमि सडक से 1–1/5 किलोमीटर दूर बताई है जिससे इस भूमि को सडक पर नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एंव तथ्यों के विपरीत है। अतः विद्धान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें।
6. विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–
8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।
9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया कि '' उक्त दस्तावेज में कहीं भी कृषि भूमि का सड़क से दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही विभाग ने इस अपूर्ण दस्तावेज के सम्बन्ध मे आवश्यक पूछताछ की है अतः डी.एल.सी. के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार सड़क से पास की मालियत होना वांछनीय है।'' प्रार्थीया जरिये अभिभाषक विद्धान कलक्टर

लगातार.................4

(मुद्रांक) हनुमानगढ़ के न्यायालय में दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "विवादित आराजी आबादी व मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं ऐसी सूरत में विवादित आराजी का सक्षम राजस्व कर्मचारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रश्नगत रेफरेन्स की कार्यवाही को बन्द करने के आदेश फरमाये"। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक रीडर/2010/एसपीएल–3 दिनांक 15.11.2010 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) नोहर से मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 14 पर यह पत्र उपलब्ध है जिस पर संबंधित तहसीलदार ने मूल ही पटवार हल्का मन्दरपुरा को भेज कर चाही रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु लिखा है। इस पत्र के पीछे पटवार हल्का की रिपोर्ट निम्न प्रकार है " श्रीमान् जी, निवेदन है कि ग्राम मन्दरपुरा के खसरा ने. 880 व 943 की भूमि सड़क पर स्थित नहीं है। भूमि की सड़क से दूरी लगभग 1–1/5 किलोमीटर है। हस्ताक्षर पटवारी मन्दरपुरा दिनांक 07.01..2011 । प्रति हस्ताक्षर तहसीलदार राजस्व नोहर दिनांक 19.01.2011 ।" अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि ग्राम मन्दरपुरा खसरानं. 880 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, 943 रकबा 4 बीघा 2 बीस्वा कुल रकबा 25 बीघा 17 बीस्वा की सडक की दूरी के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण नहीं किया है। प्रार्थीया के जवाब व मौका रिपोर्ट पर भी विचार करते हुये निर्णय पारित नहीं किया है जबकि जवाब में व मौका रिपोर्ट में भूमि सडक पर स्थित होना नहीं बताया गया हैं। विचाराधीन प्रकरण में यह भी बिन्दु महत्वपूर्ण था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि सडक पर स्थित है या नहीं क्योकि डी.एल.सी. के नोट क्रम सं. 3 के अनुसार ग्राम मन्दरपुरा की भूमि जो सडक पर स्थित है का मूल्यांकन 4 लाख रू. की दर से किये जाने का प्रावधान है। संबंधित पटवारी हल्का जिसके पास राजस्व रिकार्ड होता है तथा जो मौके का राजस्व अधिकारी है की रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है, विश्वास योग्य है जब तक की उसके विरूद्व अन्य पर साक्ष्य नहीं हो। इस रिपोर्ट में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित कृषि भूमि की सडक से दूरी 1–1/2 दूरी बताई है जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि सडक पर स्थित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के भूमि को सडक पर मानकर रेफरेन्स स्वीकार किया है जो तथ्यों एवं विधि के अनुरूप नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों के विपरीत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 26.09.2011 निरस्त किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य